शीर्ष प्राथमिकता

संख्या:3/सा0988-38-2-2013-55एल0सी0/2013

प्रेषक,

रमेश चन्द्र उत्तम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग'2 **लखनऊ: दिनांक 16 दिसम्बर, 2013**

विषय:- मा0 विभिन्न न्यायालयों में योजित वादों के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 न्यायालयों में लम्बित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति की शासन स्तर पर प्रमुख सचिव न्याय की अध्यक्षता में दिनांक 29-11-2013 को समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक के सम्बन्ध में कृपया ग्राम्य विकास अनुभाग-2 से सम्बन्धित निम्न सूचना तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

(1) मा0 विभिन्न न्यायालयों में कुल योजित वादा।
(2) योजित वादों के सपेक्ष दाखिल प्रतिशपथ पत्र।
(3) अवशेष वादों में प्रतिशपथ पत्र न दाखिल होने के कारण।
(4) ऐसे मामले जिनमें मा0 न्यायालयों के स्पष्ट विशिष्ट निर्देश है, जिनका अनुपालन निर्धारित समय अवधि में किया जाना है।
(5) ऐसे मामले जो अवमानना की श्रेणी में है।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र उत्तम)
संयुक्त सचिवा।

shasanadesh.up.nic.in